पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 286/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक- 14.09.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

01.थाना-निजामाबादः लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– अवगत कराना है कि दिनांक- 09.09.2024 को वादिनी मुकदमा थाना निजामाबाद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अब्दुल मन्नान पुत्र कलामुददीन ग्राम सुराई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसला कर अगवा कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 09.09.24 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 443/24 धारा 87, 352 बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V SC/ST ACT बनाम अब्दुल मन्नान के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग की विवेचना स0पु0अ0/ क्षेत्राधिकारी सदर शुभम अग्रवाल द्वारा प्रारम्भ किया गया। पीड़िता की बरामदगी, मेडकिल व मा0 न्यायालय के समक्ष बयान के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 BNS की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 14.09.24 को उ0नि0 प्रमोद सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अब्दुल मन्नान पुत्र कलामुद्दीन निवासी सुराई थाना निजामाबाद, आजमगढ़ को ग्राम सुराई रेलवे फाटक के पास से समय 11.10 बजे हिरासत में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

02. थाना जहानागंजः लड़की को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण- अवगत कराना है कि दिनांक 11/09/24 को वादिनी मुकदमा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 10.09.24 को समय करीब 6.30 बजे सुबह अभियुक्त अभिषेक चौधरी पुत्र सरयू चौधरी बेगूसराय बिहार द्वारा वादिनी की लड़की उम्र 19 बर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर 494/24 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. सुधांशु मिश्रा द्वारा सम्पादित की जा रही है। उ0नि0 सुधांशु मिश्रा द्वारा सीसीटीवी फुटेज व वादिनी द्वारा प्राप्त विडियो में अभियुक्त द्वारा बताये गए मो0नं0 से उसके सोशल मीडिया एकाउन्ट फेसबुक, इन्स्टाग्राम आईडी की जानकारी कर उसपर अपलोड विडियो से अभियुक्त की पुष्टि कर उसके सोशल मीडिया एकाउन्ट से उसके पते की जानकारी कर अभियुक्त व अपहृता को थाने पर पूछताछ हेतु लाया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 12.09.24 को उ0नि0 सुधांशु मिश्रा मय हमराह द्वरा मुकदमा उपरोक्त मे नामित आरोपी अभिषेक कुमार पुत्र सरयुग चौधरी निवासी बड़ी बलिया वार्ड न0 16 थाना बलिया जिला बेगूसराय बिहार के घर पहुंचकर पीड़िता की बरामदगी होने पर उसका 180 बीएनएसएस का बयान होने तक आरोपी को पूछताछ हेतु साथ मे दिनांक 13.09.24 को थाने पर लाया गया। आज दिनांक 14.09.24 को आरोपी अभिषेक चौधरी पुत्र स्व0 सरयुग चौधरी निवासी बड़ी बलिया वार्ड नं0-16 थाना बलिया जिला बेगुसराय के विरुद्ध 87/64/123 BNS का साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तारी करते हुये हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा गिरफ्तारी अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

03.थाना बिलरियागंजः किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक- 11.09.2024 को आगन्तुका द्वारा खुद की नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 311/2024 धारा 74 /351(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बनाम राजेश पासवान पुत्र टुनू पासवान नि0 भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसमें राजेश पासवान उपरोक्त को दिनांक 13.09.2024 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 13.09.2024 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश पासवान उपरोक्त मुकदमा वादिनी से कहा सुनी कर रहा है उ0नि0 द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को नोटिस अन्तर्गत धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. तैयार कर हस्ताक्षर हेतु कहा गया तो नोटिस प्राप्त करने व हस्ताक्षर करने से इंकार किया तथा वादिनी मुकदमा के प्रति उग्रता व क्रोध का भाव रखते हुए मुकदमा पंजीकृत करा देने की बात को लेकर पुनः कहासुनी करने लगा चुंकि अभियुक्त द्वारा न तो विवेचनात्मक कार्यवाही में सहयोग किया जा रहा था न ही नोटिस प्राप्त की जा रही थी तथा अग्रेतर अपराध की ओर भी अग्रसर था। अतः अभियुक्त राजेश पासवान उपरोक्त को बजाफ्ता बकायदा समय करीब 13.40 बजे अन्तर्गत धारा धारा 74,351(2) बीएनए, व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट. में कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

04.थाना- तरवां: किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – अवगत करना है कि दिनांक-12.09.2024 को वादिनी मुकदमा थाना तरवाँ जिला आजमगढ ने थाना तरवां पर लिखित तहरीर दी विपक्षी मुलायम खान उर्फ अरमान पुत्र पप्पू खाँन उर्फ अली कौशर खान निवासी धुरमुजपुर हल्ट जोरवट विन्द्रावन थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर द्वारा वादिनी की पुत्री अलाऊद्दीन उम्र लगभग 16 वर्ष को अपने साथ ले जाकर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया और जब वादिनी मुकदमा की पुत्री शादी करने के लिये कही तो अभियुक्त द्वारा मारपीट कर ,गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 266/2024 धारा 363/366/376/323/504/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम 1. मुलायम खान उर्फ अरमान पुत्र पप्पू खाँन उर्फ अली कौशर खान निवासी धुरमुजपुर हल्ट जोरवट विन्द्रावन थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना व0 उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 14.09.2024 को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुलायम खान उर्फ अरमान पुत्र पप्पू खाँन उर्फ अली कौशर खान निवासी धुरमुजपुर हल्ट जोरवट विन्द्रावन थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर को खरिहानी बाजार से समय करीब 7.00 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

05.थाना गम्भीरपुर: गैर इरादत्तन हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त 01-01 लाठी व लोहे की पाइप बरामद।

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 13.09.2024 को वादी मुकदमा श्री अजय यादव पुत्र लाला यादव ग्राम सिंगड़ा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को मुखबिरी करने की बात को लेकर गाली गलौज देने मना करने पर लाठी डंडा एंव पाइप से मारने पीटने व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.355/2024 धारा 115(2),352,351(2),110 BNS बनाम 1.धर्मेन्द्र यादव उर्फ छोटई S/O रामअधार यादव उम्र 34 वर्ष 2.रवि यादव पुत्र अज्ञात उम्र 29 वर्ष निवासी तियरी संग्राम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 3. एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक-14.09.2024 को उ0नि0 राकेश चन्द्र त्रिपाठीमय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.रवि यादव पुत्र रामनयन यादव उम्र 25 वर्ष सा0 तियरी संग्राम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ 2.अमीन यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव उम्र 19 वर्ष सा0 तियरी संग्राम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ को एक अदद साइकिल में हवा भरने वाला लोहे का पम्प तथा एक अदद बांस का डंडा के साथ रोहुआ मोड के पास समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास- (रवि यादव पुत्र रामनयन यादव निवासी तियरी संग्राम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ)

1. मु0अ0सं0-03/2020 धारा-323/504/506/427/452 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-24/2019 धारा-147/148/323/504/506/352 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-193/2018 धारा-147/323/504/506/452 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0-251/2017 धारा-323/325/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0-355/2024 धारा 115(2),352,351(2),110 BNS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़